दिनांक- 07-08-2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त चेतेन्द्र पाल की उपस्थिति केवल आज के लिए स्वीकृत हुई। साक्षी वेदराम को तलब किया गया था जिस पर संबंधित थाना हापुड़ देहात से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वेदराम की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु सर्टिफिकेट संलग्न किया गया है। साक्षी वीर सिंह की ओर से यह आख्या प्राप्त हुई है कि उसकी गवाही पूर्ण हो गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिस से स्पष्ट होता है कि साक्षी वीर सिंह का साक्ष्य अभी तक इस पत्रावली में नहीं हुआ है। संबंधित पैरोकार ने बताया कि साक्षी वीर सिंह की रीढ़ की हड्डी का इलाज चल रहा है, वह चलने-फिरने में असमर्थ है।

प्रस्तुत पत्रावली एक्शन प्लान से संबंधित सत्र परीक्षण है। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण में अन्य साक्षीगण को परीक्षित कराना सुनिश्चित करें। साक्षी दलबीर सिंह को बजरिये जमानती वारंट 20000 रुपये तलब कराना सुनिश्चित करें। वास्ते साक्ष्य दिनांक 16-08-2023 को प्रस्तुत हो। संबंधित पैरोकार एवं अभियोजन नोट करें।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-5, गाजियाबाद